

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दि- 06.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अजय सक्सेना पुत्र बालकराम निवासी ग्राटगंज को० फरुखाबाद मु०अ०सं०- 416/2003 वाद स०- 344/2003 धारा- 30 आर्म्स एक्ट को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 06.12.2024 को मा० न्यायालय एडीजे०-02 एससी/एसटी कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 06 माह का कारावास से दण्डित किया जाता है।



एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी - श्री श्री अनुज कटियार



कोर्ट मोहररि हे० का० प्रमोद कुमार



पैरोकार का० का० तुलाराम



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि०- 06.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त शिवकुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी ईशेपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद मु०अ०सं०-1673/2009 वाद स०- 62/2009 धारा- 302,201 भा०द०वि० थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 06.12.2024 को मा० न्यायालय एडीजे तृतीय डकैती कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास (कठोर) की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया जाता है।



ADGC श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय



कोर्ट मोहर्रि हे० का० अजय कुमार



पैरोकार का० गुलाम गौस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दि०- 06.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राजू वर्मा पुत्र स्व० गंगाराम निवासी लालसराय को० फरुखाबाद जिला फरुखाबाद को मु०अ०सं०-417/2003 वाद स०- 345/2003 धारा- 25 आर्म्स एक्ट को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 06.12.2024 को मा० न्यायालय एडीजे०-02 एससी/एसटी कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।



एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी - श्री श्री अनुज कटियार



कोर्ट मोहरीर हे० का० प्रमोद कुमार



पैरोकार का० का० तुलाराम

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दि०- 06.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. अजय सक्सेना पुत्र बालकराम निवासी ग्राटगंज को० फरुखाबाद 2. राजू वर्मा पुत्र स्व० गंगाराम 3. राजकपूर पुत्र स्व० गंगाराम नि०गण लालसराय को० फरुखाबाद मु०अ०सं०- 415/2003 वाद स०- 343/2003 धारा- 302भा०द०वि० को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 06.12.2024 को मा० न्यायालय एडीजे०-02 एससी/एसटी कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया जाता है।



एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी - श्री श्री अनुज कटियार



कोर्ट मोहररि हे० का० प्रमोद कुमार



पैरोकार का० का० तुलाराम

